

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) विधेयक, २०२४

३१ मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०२४ है।

संक्षिप्त नाम।

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियाँ, जिनका कुल योग रुपये चार सौ छियालीस करोड़ अट्ठाईस लाख पैंतालीस हजार होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बावत् प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी।

३१ मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये ४,४६,२८,४५,००० का दिया जाना।

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियाँ, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी।

विनियोग।

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) आधिक्य भारित रुपये
०२. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	पूंजीगत/राजस्व मतदत्त रुपये	भारित रुपये
०६. वित्त	राजस्व	२३,५०,३२,०००
२४. लोक निर्माण कार्य- सङ्कें एवं पुल	राजस्व	४,०६,४३,५५,०००
४९. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व पूंजीगत	५,८२,७६,००० २,४६,०९,०००

(१)	(२)	(३)
	रुपये	रुपये
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सङ्केत एवं पुल	पूँजीगत ३,९८,८६,०००	- ३,९८,८६,०००
६७. लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व - ९,८६,८६,०००	९,८६,८६,०००
योग :	{ राजस्व : ४,३२,६३,८७,००० पूँजीगत : ३,९८,८६,०००	९०,९५,६६,००० - ३,९८,८६,०००
महायोग :	४,३६,९२,७६,०००	९०,९५,६६,००० ४,४६,२८,४५,०००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिये उपबंध करने हेतु पुरः स्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, सन् २०१५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुये व्यय की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख ३ जुलाई, २०२४

जगदीश देवडा
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०४ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशासित.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.